

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-36/12  
संस्थित दिनांक-15.02.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

1. नीलेश पुत्र सूरत सिंह लोधी उम्र 30 साल
2. प्रकाश पुत्र सूरत सिंह लोधी उम्र 32 साल
3. सूरत सिंह पुत्र नन्दराम लोधी उम्र 76 साल  
निवासीगण नयाखेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 26.02.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने एक वर्ष पूर्व से लगातार दिनांक 01.01.2012 तक ग्राम नयाखेडा में आरोपी जिहान के घर अर्थात् फरियादी रानीबाई की ससुराल में उसे पति एवं पति के नातेदार होते हुये उसके साथ दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादियां रानीबाई की शादी नीलेश से हिन्दू रीति-रिवाज से ग्राम नयाखेडा में हुई थी, शादी में पिता जिहान ने हैसियत के हिसाब से दहेज का सामान दिया था, शादी के एक साल रानीबाई को अच्छे से रखा था, फिर करीब एक साल बाद पति नीलेश, ससुर सूरत सिंह व जेठ प्रकाश लोधी रानीबाई से फ्रिज, टी.वी., एवं मोटरसाईकिल अपने से पिता से लाने के लिये आये दिन कहने लगे, फरियादियां ने बोला कि उसके पिता गरीब है, और सामान नहीं दे सकते हैं, तो तीनों लोग दहेज के लिये प्रताडित करते रहते थे, और छोटी-छोटी बातों पर रानीबाई को मारते-पीटते थे, तीनों ने रानीबाई को थप्पड़ों व बाल पकडकर पीटा, और घर से निकाल दिया, रानीबाई ने उक्त घटना अपने मां पानाबाई, पिता जिहान सिंह भाई धर्मेन्द्र को बताई, फरियादियां रानीबाई की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-09/2012 अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 498 (ए), 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक-5748/16 में पारित आदेश दिनांक-17.10.2016 के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-36/2012 के संबंध में अभियुक्त प्रकाश व सूरत सिंह के विरुद्ध इस प्रकरण में चल रही कार्यवाही को राजीनामों के आधार पर निरस्त करने का आदेश पारित किया है। जिसके आधार पर अभियुक्त प्रकाश व सूरत सिंह के विरुद्ध इस प्रकरण में चल रही कार्यवाही समाप्त की गई तथा मात्र प्रकरण में अभियुक्त नीलेश का विचारण भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) के आरोप में किया गया।

04—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

|    |   |
|----|---|
| 1. | क्या अभियुक्त नीलेश ने एक वर्ष पूर्व से लगातार दिनांक 01.01.2012 तक ग्राम नयाखेडा में आरोपी जिहान के घर अर्थात् फरियादी रानीबाई की ससुराल में उसे पति होते हुये उसके साथ दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ? |
| 2. | दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?  |

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये के लिये उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से स्वयं फरियादी रानीबाई (अ0सा0-2) सहित उसके पिता जिहान सिंह (अ0सा0-1) भाई धर्मेन्द्र (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं तथा साथ ही अनुसंधानकर्ता अधिकारी जयपाल सिंह (अ0सा0-4) के भी कथन न्यायालय में कराये गये हैं।

07—फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसकी शादी नीलेश से चार पांच साल पहले गांव नयाखेडा में हुई थी, तथा वह अपने ससुराल में शादी के बाद करीब 01 साल तक अच्छे से रही थी, परन्तु उसके बाद आरोपीगण उससे

मोटरसाईकिल और दहेज का सामान लाने की कहते थे और न देने पर मारपीट करते थे, जिससे वह परेशान होकर शादी के दो साल बाद अपने मायके में आकर रहने लगी थी तथा मायके में आने के बाद उसने प्र0पी0-01 की रिपोर्ट लेख कराई थी, जिस पर फरियादिया ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 08- फरियादिया रानीबाई (अ0सा0-2) ने अपने उपरोक्त कथनों में सभी अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाईकिल और दहेज का सामान की मांग उससे करना बताया है तथा मांग पूरी न होने पर सभी आरोपीगण के द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना भी बताया है, परन्तु रानीबाई (अ0सा0-2) ने अपने उपरोक्त न्यायालीन कथनों में ऐसी कोई स्पष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया है कि शादी के बाद किस दिनांक को या किस समय किस अभियुक्त ने उससे क्या मांग की तथा किस अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की, वही फरियादिया के द्वारा मांग के संबंध में मोटरसाईकिल को छोड़कर यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविकता में दहेज के रूप में आरोपीगण किस प्रकार की मांग उससे कर रहे थे।
- 09- फरियादी रानीबाई (अ0सा0-2) का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने लेख कराई है तथा उस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं जिसमें यह लेख है कि आरोपीगण दहेज में मोटरसाईकिल के साथ फ्रिज व टी.वी. की मांग करते थे, परन्तु फरियादिया के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों में मात्र आरोपीगण के द्वारा मोटरसाईकिल की मांग की जाने के संबंध में कथन दिये गये हैं, जबकि फ्रिज व टी.वी. की मांग का कोई उल्लेख फरियादिया के कथनों में नहीं है।
- 10- फरियादिया के पिता जिहान सिंह (अ0सा0-1) अपने कथनों में मात्र अभियुक्त नीलेश के संबंध में यह कहता है कि रानी से नीलेश दहेज में टीवी और कूलर की मांग करता था तथा उसी ने रानी की मारपीट कर रानीबाई (अ0सा0-2) को घर से भगा दिया था। धर्मेन्द्र (अ0सा0-3) जो कि फरियादिया का भाई है, अपने कथनों में कहता है कि अभियुक्त नीलेश उसकी बहन से कहता था कि कूलर, फ्रिज, टी.वी, पंखा, अलमारी और बक्सा नहीं दिया तथा शादी के एक साल बाद नीलेश ने ही उसकी बहन को चुटिया पकड़कर फेंक दिया था और शादी के एक साल बाद बहन को घर से भगा दिया था।
- 11- फरियादिया व जिहान सिंह (अ0सा0-1) एवं धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) के कथनों में इस संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास है कि वास्तव में अभियुक्तगण ने फरियादिया रानीबाई को किस मांग के लिये प्रताड़ित कर कूरता कारित की रानीबाई (अ0सा0-2) सभी अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाईकिल, दहेज की मांग कि जाना बताती है, परन्तु यह इस साक्षी ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि मोटरसाईकिल के अलावा अन्य क्या मांग आरोपीगण के द्वारा की जा रही थी। जिहान सिंह

(अ0सा0-1) व धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) का अपने कथनों में कही भी यह कहना नहीं है कि सभी अभियुक्तगण रानीबाई (अ0सा0-2) से मोटरसाईकिल की मांग कर रहे थे, बल्कि जिहान सिंह (अ0सा0-1), रानीबाई (अ0सा0-2) के कथनों के विपरीत दहेज में टी.वी. व कूलर की मांग की जाना बताते हैं जिसके संबंध में रानीबाई (अ0सा0-2) ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये, वहीं धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) कूलर, फ्रिज, पंखा अलमारी और बक्सों की मांग के संबंध में कथन देता है, जबकि उपरोक्त सामान की कोई मांग की गई ऐसा कही भी रानीबाई (अ0सा0-2) का अपने कथनों में कहना नहीं है।

- 12- जिहान सिंह (अ0सा0-1) व धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) मात्र नीलेश के द्वारा फरियादिया से मांग किया जाना तथा उसके साथ मारपीट की जाने के संबंध में कथन देते हैं, जबकि फरियादिया सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध अपने मुख्यपरीक्षण में कथन देती है। अतः फरियादिया रानीबाई (अ0सा0-2) व जिहान सिंह (अ0सा0-1) एवं धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि इन तीनों ही साक्षियों के द्वारा सर्वप्रथम तो मांग की जाने की दिनांक अथवा घटना की कोई विशिष्ट तिथि या समय स्पष्ट नहीं किया गया है, वहीं इस संबंध में भी इन साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है कि वास्तव में दहेज के सामान की मांग अकेले अभियुक्त नीलेश के द्वारा की जा रही थी या सभी अभियुक्तगण रानीबाई (अ0सा0-2) से मांग कर रहे थे, फरियादिया सहित साक्षियों के कथनों में इस संबंध में भी गंभीर विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में किस सामान की मांग अभियुक्तगण के द्वारा की जा रही थी।
- 13- यह उल्लेखनीय है कि फरियादिया रानीबाई (अ0सा0-2) का स्वयं यह कहना है कि शादी के एक साल तक वह ससुराल में अच्छे से रही थी अर्थात् उसके साथ सभी आरोपीगण का व्यवहार अच्छा था। यदि वास्तव में आरोपीगण लालची प्रवृत्ति के होते या उन्हें रानीबाई (अ0सा0-2) की शादी में दिये गये सामान से असंतुष्टि होती तो निश्चित रूप से शादी के तुरन्त बाद ही रानीबाई (अ0सा0-2) से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था, यदि एक वर्ष तक कोई प्रताड़ना नहीं हुई या कोई मांग नहीं हुई, तो अचानक एक वर्ष के बाद फरियादिया रानीबाई (अ0सा0-2) का यह कहना कि आरोपीगण मोटरसाईकिल और दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे थे, एक दम से विश्वास करने योग्य के कथन प्रतीत नहीं होते हैं।
- 14- विवाह के पश्चात् यदि आरोपीगण या उनमें से कोई रानीबाई (अ0सा0-2) को दहेज में प्राप्त न होने वाले किसी विशेष सामान की मांग रानीबाई (अ0सा0-2) से या उसके परिजनों से कर रहे तथा उक्त सामान के न मिलने पर उसे प्रताड़ित कर रहे थे तो निश्चित रूप से किस सामान की मांग को लेकर प्रताड़ना की जा रही है इस

संबंध में वास्तविकता में फरियादिया व उसके परिजनों के कथनों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि निरन्तर किसी सामान की मांग की जा रही है, तो यह संभव ही नहीं है कि वधू या उसके परिजनों को यह बता पाने में कठिनाई हो कि वास्तव में क्या मांग वधू से की जा रही थी और कब-कब मांग की गई तथा उक्त मांग को लेकर कब-कब मारपीट की गई।

- 15- रानीबाई (अ0सा0-2) का कहना है कि शादी के एक साल बाद से ही आरोपीगण मोटरसाईकिल व दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे, और शादी के दो साल बाद वह परेशान होकर अपने मायके आकर रहने लगी थी, परन्तु ऐसी कोई घटना की रिपोर्ट या शिकायत इस प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्व की गई, ऐसी न तो कोई साक्ष्य अभिलेख पर है और न ही किसी भी साक्षी का इस संबंध में कहीं भी कुछ कहना है।
- 16- रानीबाई (अ0सा0-2) के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जब उसके द्वारा प्रदर्श-पी-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, उससे छः दिन पूर्व ही तीनों आरोपीगण ने दहेज की बात पर से उसके बाल पकड़कर थप्पड़ से मारपीट की थी और उसे घर से निकाल दिया था, परन्तु जिस घटना के बाद उपरोक्त प्रदर्श-पी-01 की रिपोर्ट व्यथित होकर रानीबाई (अ0सा0-2) के द्वारा की गई उस संबंध में रानीबाई (अ0सा0-2) का अपने न्यायालीन कथनों में ही यह कहना है कि रिपोर्ट लिखने से आरोपीगण ने कितने पहले उसके साथ मारपीट की थी, यह उसे ध्यान नहीं है। यह कैसे संभव है कि जिस घटना के घटित होने के बाद प्रदर्श-पी-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, उसी के बारे में स्वयं फरियादिया को जानकारी न हो।
- 17- प्रदर्श-पी-01 की रिपोर्ट लेख की जाने से पूर्व हुई घटना के संबंध में न तो जिहान सिंह (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है और न ही धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में कोई कथन दिये है, बल्कि यह दोनों ही साक्षी एक सामान्य कथन देते हुये कहते हैं कि अकेला नीलेश ही दहेज की मांग को लेकर रानीबाई (अ0सा0-2) के साथ मारपीट करता था, परन्तु ऐसी कोई मारपीट की घटना रिपोर्ट करने से छः दिन पूर्व हुई इस संबंध में इन साक्षियों के कथन मौन है। यदि वास्तविकता में ऐसी कोई घटना घटित हुई होती, तो पिता व भाई होने के नाते इन साक्षियों से यह अपेक्षा ही नहीं हो सकती है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही न हो। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 के छः दिन पूर्व हुई घटना जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 में है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

- 18- रानीबाई (अ0सा0-2) का कहना है कि शादी के दो साल बाद वह स्वयं परेशान होकर अपने मायके आकर रहने लगी थी। इस साक्षी के उपरोक्त कथनों से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि वह स्वयं ही मायके में आकर रहने लगी थी, उसे आरोपीगण ने मारपीट रिपोर्ट करने से पूर्व मारपीट करके घर से नहीं निकाला था, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि आरोपीगण ने उसके बाल पकड़कर मारपीट की और घर से निकाल दिया था, जिसके संबंध में रानीबाई (अ0सा0-2) ने न्यायालय में कोई कथन नहीं दिये। अतः घटना से पूर्व रानीबाई (अ0सा0-2) स्वयं मायके आकर रहने लगी थी या आरोपीगण ने उसे मारपीट करके घर से निकाला दिया था इस संबंध में रानीबाई (अ0सा0-2) के न्यायालीन कथन व प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 व पुलिस को दिये गये कथनों में गम्भीर तात्त्विक विरोधाभास है।
- 19- रानीबाई (अ0सा0-2) का स्पष्ट कहना है कि वह परेशान होकर मायके आकर रहने लगी थी जबकि जिहान सिंह (अ0सा0-1) व धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) का कहना है कि नीलेश ने मारपीट करके रानीबाई (अ0सा0-2) को घर से निकाल दिया था। अतः रानीबाई (अ0सा0-2), जिहान सिंह (अ0सा0-1) व धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) के न्यायालीन कथनों में भी इस संबंध में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जो निश्चित रूप से प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 में उल्लेखित घटना की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ले आता है। यह संदेह और प्रबल तब हो जाता है, जब रानीबाई (अ0सा0-2) स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में यह स्वीकार करती है कि अभियुक्त नीलेश उस पर शक करता था, और वह स्वयं दूसरी औरत के पास जाने लगा था, इसी बात पर झगडा होता था।
- 20- रानीबाई (अ0सा0-2) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट कहना है कि नीलेश से उसके झगडे का प्रमुख कारण एकमात्र यहीं था कि नीलेश दूसरी औरत के पास जाने लगा था तथा वह स्वयं उस पर भी शक करता था। रानीबाई (अ0सा0-2) यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त विवाद के कारण अलावा कोई दूसरा कारण झगडे का नहीं था। अतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि वास्तविक कारण विवाद का यह था कि नीलेश रानीबाई (अ0सा0-2) पर शक करता था और वह स्वयं दूसरी औरत के पास जाने लगा है तो फिर प्रदर्श-पी-01 की रिपोर्ट में विवाद का कारण दहेज की मांग को लेकर मारपीट करना रानीबाई (अ0सा0-2) के द्वारा क्या लेख कराया गया।
- 21- यह स्थिति इस बात से स्पष्ट होती है कि रानीबाई (अ0सा0-2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में भले ही सभी अभियुक्तगण के द्वारा दहेज के रूप में मोटरसाईकिल की मांग की जाना व मारपीट की जाने के संबंध में कथन दिये हैं तथा प्रदर्श-पी-01 की रिपोर्ट भी लेख कराना बताया है, परन्तु स्वयं रानीबाई

(अ0सा0-2) मात्र रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करती है, परन्तु रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी अपने पिता को होना बताती है, वहीं जिहान सिंह (अ0सा0-1) का भी अपने कथनों में कहना है कि रिपोर्ट उसने की थी, रानीबाई की रिपोर्ट की उसे जानकारी नहीं है, जबकि प्रदर्श-पी-01 की रिपोर्ट पर रानीबाई (अ0सा0-2) के द्वारा अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये गये हैं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी जयपाल सिंह (अ0सा0-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में जिहान सिंह (अ0सा0-1) के कथनों का खण्डन करते हुये स्पष्ट किया है कि जिहान सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा आरोपीगण की रिपोर्ट उसे नहीं मिली और न ही उक्त रिपोर्ट उक्त प्रकरण में संलग्न है।

22- रानीबाई (अ0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह कहती है कि उसने जेठ और ससुर से राजीनामा इसलिए किया, क्योंकि उसने रिपोर्ट में उनके नाम नहीं लिखाये थे, पुलिस ने अपने मन से लिख लिये, अतः रानीबाई (अ0सा0-2) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 में जो भी घटना लिखी है, वास्तविकता में वह उसकी जानकारी नहीं है तथा थाने पर की गई रिपोर्ट कहीं न कहीं उसके पिता जिहान सिंह (अ0सा0-1) के प्रभाव में या उसके कहे अनुसार लेख की गई है। यह उल्लेखनीय है कि जयपाल सिंह (अ0सा0-4) का कहना है कि उसने दिनांक-06.01.2012 को ही जो कि रिपोर्ट लेख करने की दिनांक है, पर फरियादिया रानीबाई (अ0सा0-2) के कथन लेख कर लिये थे तथा जिहान सिंह के कथन उक्त दिनांक को ही लेखबद्ध किये थे जो कि साक्षियों के बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, परन्तु रानीबाई (अ0सा0-2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन उसके पुलिस कथनों के विपरीत होने से एवं इस साक्षी के द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 की जानकारी न होने से कहीं ना कहीं प्रकरण की विवेचना भी संदेह के घेरे में आ जाती है।

23- रानीबाई (अ0सा0-2) भले ही अपने मुख्यपरीक्षण में सभी आरोपीगण के द्वारा मोटरसाईकिल व दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाने के संबंध में कथन देती है, परन्तु किसी स्पष्ट दिनांक या मांग का उल्लेख इस साक्षी के कथनों में न होना तथा रिपोर्ट की पूर्व की घटना की जानकारी ही इस साक्षी को न होना एवं प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया जाना कि विवाद का कारण दहेज की मांग न होकर मात्र नीलेश के द्वारा उस पर शक करना था। जिहान सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार कर लेना से कि उसकी लडकी ने सूरज और प्रकाश के बारे में कुछ नहीं बताया था तथा सूरज और प्रकाश ने कभी कोई मांग नहीं की, मात्र सूरज का नाम इसलिए लिखवाया गया क्योंकि वह नीलेश से कुछ नहीं कहता था, से सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट होती है कि रानीबाई (अ0सा0-2) व अभियुक्तगण के मध्य विवाद का कारण दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण के द्वारा प्रताडित किया जाना नहीं था।

- 24- रानीबाई (अ0सा0-2) ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसकी दूसरी शादी भूरा जो कि उसका देवर है, से हो गई है तथा उससे एक पुत्री भी है तथा उससे ससुर ने ढाई बीघा जमीन व एक टैक्सी क्रय करके उसे दी है। जिहान सिंह (अ0सा0-1) स्वयं भी यह स्वीकार करता है कि रानीबाई अपने ससुराल में ही अलग बाखर में रह रही है तथा उसकी दूसरी शादी हो गई है और बाखर में रहने की व्यवस्था उसके ससुर ने स्वयं की है, वही नीलेश चंदेरी में निवास कर रहा है। धर्मेन्द्र सिंह (अ0सा0-3) जो कि फरियादी का भाई है, ने अपने कथनों में उपरोक्त जानकारी होने से इन्कार किया है जो यह दर्शित करता है कि यह साक्षी कहीं न कहीं न्यायालय में वास्तविकता बताने से बच रहा है, जिससे इस साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।
- 25- रानीबाई (अ0सा0-2) का स्वयं यह कहना है कि यदि नीलेश उसे रिपोर्ट करने से पहले दो लाख रुपये दे देता तथा ससुर ढाई बीघा जमीन उसके नाम कर देते, तो वह उसके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं करती। रानीबाई (अ0सा0-2) के द्वारा की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति भी पूरी अभियोजन कहानी की सत्यता को धरासाई कर देती है। क्योंकि यदि वास्तविकता में रानीबाई दहेज की मांग को लेकर प्रताडना से पीड़ित होती, तो निश्चित रूप से वह दो लाख रुपये या ढाई बीघा जमीन की मांग रिपोर्ट से पूर्व ही आरोपीगण से नहीं करते। रानीबाई का नीलेश से तलाक के पूर्व ही दूसरा विवाह व उससे पुत्री उत्पन्न होना तथा ससुर के द्वारा अपने ही पुत्र नीलेश को अलग करके बहू के लिये रहने और खाने पीने की व्यवस्था करना अपने आप में बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को युक्ति-युक्त रूप से स्थापित करता है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद का मुख्य कारण नीलेश का रानीबाई (अ0सा0-2) पर शक करना था।
- 26- वर्तमान परिवेश में दहेज प्रताडना के प्रकरणों में अधिकांशतः पति पत्नी के मध्य विवाद का कारण घरेलू वाद विवाद या वैचारिक मतभेद होते हैं। जो कि न्यायालय तक आते आते दहेज के प्रताडना के प्रकरणों में परिवर्तित हो जाते हैं जबकि वास्तविकता में ऐसे प्रकरणों में मुख्य रूप से विवाद का कारण कुछ और होता है। वर्तमान प्रकरण में भी रानीबाई (अ0सा0-2) को स्वयं ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 में उल्लेखित घटना की जानकारी न होना तथा उसके स्वयं के कथनों में की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट होता है कि उसका अपने ससुर व जेठ से कोई विवाद नहीं था वहीं नीलेश से विवाद का कारण भी नीलेश के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करना नहीं था।
- 27- अभियुक्त के द्वारा फरियादी को छोड़कर अलग रहने से या स्वयं फरियादी के द्वारा अभियुक्त को छोड़ देने से वैवाहिक जीवन में विवाद की स्थिति दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होती है, परन्तु उक्त स्थिति या गतिरोध पीड़ित पक्ष के संदर्भ में धारा 498



498 (ए) में दिये गये स्पष्टीकरण का उल्लेख यहां किया जाना आवश्यक है जिसमें कूरता शब्द का आशय धारा 498 (ए) भा0दं0वि0 के प्रयोजन से स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार.....

“cruelty” means—

(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or

(b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

28— अतः भा0दं0वि0 498 (ए) की परिधि में दो प्रकार की कूरता आती है प्रथम तो ऐसा कृत्य जो पत्नी को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दे या उसके जीवन स्वास्थ्य को गंभीर उपहति कारित करें। वहीं दूसरी ओर ऐसी कूरता जो दहेज की मांग के लिये की जावें। वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य कहीं भी यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया, जिससे फरियादिया आत्महत्या करने के लिये मजबूर हुई हो अथवा उसके जीवन व स्वास्थ्य पर कोई गंभीर क्षति कारित हुई हो, वहीं दूसरी ओर अभियुक्त फरियादिया से या उसके परिजनो से दहेज की मांग कर उसे कभी भी प्रताड़ित किया गया, यह भी अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त नीलेश का कोई भी कृत्य भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

29— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि नीलेश ने एक वर्ष पूर्व से लगातार दिनांक 01.01.2012 तक ग्राम नयाखेडा में आरोपी जिहान के घर अर्थात् फरियादी रानीबाई की ससुराल में उसे पति होते हुये उसके साथ दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की।

30— फलतः अभियुक्त नीलेश पुत्र सूरत सिंह लोधी के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त नीलेश पुत्र सूरत सिंह लोधी भा.द.वि. की धारा 498 (ए) के दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

31- अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)